रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 432] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 6, 2008/श्रावण 15, 1930
No. 432] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 6, 2008/SRAVANA 15, 1930

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 अगस्त, 2008

सा.का.नि. 579(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29), की धारा 6 और धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण (संरक्षण) छठा संशोधन नियम, 2008 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पर्यावरण (संरक्षण) नियम 1986 की अनुसूची-। में,

क्रम संख्या 34 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां रखी जायेंगी अर्थात्:-

क्रम सं.	उद्योग	पैरामीटर	मानक
1	2	3	4
"35.	कॉफी उद्योग	तत्काल/शुष्क प्रसंस्करण	
			सांद्रण सीमा (मि.ग्रा./लीटर) पी एच को छोडकर
		pH	6.5-8.5
		BOD 3 दिन, 27⁰ सेलसियस	100
		कुल विघटित ठोस	2100
		नम/पर्चमेंट कॉफी प्रसंस्करण	
		pH	6.5-8.5
		BOD 3 दिन, 27⁰ सेलसियस	1000
		टिप्पण :- (i) वे कॉफी उत्पादक, जिनका बागान क्षेत्र 10 हेक्टेयर से कम है तथा नम विधि प्रसंस्करण करते हैं लैगून के तल और दीवारों पर गैर-पारगम्य तंत्र सहित सौर वाष्पीकरण के लिए लाईन्ड लैगूनों में प्राथमिक शोधित बहिस्राव का संग्रहण करें ।	

(ii) जिन कॉफी उत्पादकों के पास बागान क्षेत्र 10 से 25 हैक्टेयर के बीच है, तथा नम विधि प्रसंस्करण करते हैं वे प्राथमिक (समकरण और निष्प्रभावन) शोधित बहिस्राव को लाईन्ड लैगूनों के तल और दीवारों पर गैर- पारगम्य तंत्र सहित सौर-वाष्पीकरण हेतु संग्रहित करें ।

(iii) जिन कॉफी उत्पादकों के पास बागान क्षेत्र 25 हैक्टेयर अथवा अधिक है तथा नम विधि प्रसंस्करण करते हैं वे लैगून के तल और दीवारों पर गैर-पारगम्य लाईनिंग तंत्र सहित लाईन्ड लैगूनों में उपरोक्त मानदंडों के अनुपालन में माध्यमिक शोधित बहिस्राव का भंडारण करेंगे और बहिस्राव को तनु करने के बाद सिंचाई के लिए उपयोग में लायेंगे ताकि भूमि के अनुप्रयोग के लिए तनुकृत बहिस्राव की BOD, 100 मिली ग्राम/लीटर से कम हो ।

(iv) गैर-पारगम्य लाईनिंग तंत्र के लिए अधिकतम लाईनर विनिर्देश, 1.5 मिली मीटर की यौगिक अवरोधक एच डी पी ई जियोमेम्ब्रेन बैरियर हो अथवा उसके समकक्ष इसके ऊपर 90 सेंटी मीटर मृदा (चिकनी मिट्टी अथवा परिष्कृत मृदा) जिसमें पारगम्य गुणांक $1X10^{-5}$ सेंटी मीटर/सैकेण्ड से कम हो , की परत होगी ।

(v) बहिस्राव भंडारण सुविधाएं/लैगूनें/सौर वाष्पीकरण तालाब समीप की जल धाराओं, नदियों आदि में बाढ़ के ऊँचे स्तर के निशान से ऊपर स्थित होने चाहिए और उनमें निम्नलिखित शीर्षान्तर हो तथा किसी भी जल निकाय/धारा से दूरी पर हों ।

उत्पादक -->	लघु (<10 हैक्टेयर)	मध्यम (10-25 हेक्टेयर)	बड़ा (>25 हेक्टेयर)
शीर्षान्तर (से.मी.) --->	30	60	90
दूरी (मीटर) --->	50	100	150

(vi) चाहे कैसी भी परिस्थितियां हों, कच्चा, शोधित और/अथवा अवमिश्रित बहिस्राव, जल निकाय में नहीं छोड़ा जाए अथवा भूजल के पुनः भरण के लिए उपयोग नहीं किया जायेगा ।

[फा. सं. क्यू-15017/26/2007-सी. पी. डब्ल्यू.]

आर. के. वैश, संयुक्त सचिव

टिप्पण :— मूल नियम भारत के राजपत्र में का.आ. 844 (अ) तारीख, 19 नवम्बर, 1986 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् का.आ. 433 (अ) तारीख, 18 अप्रैल, 1987, का.आ. 64(अ) तारीख 18 जनवरी, 1988, का.आ. 3(अ) तारीख 3 जनवरी, 1989, का.आ. 190 (अ) तारीख 15 मार्च, 1989, सा.का.नि. 913 (अ) तारीख 24 अक्तूबर, 1989, का.आ. 12 (अ) तारीख 8 जनवरी, 1990, सा.का.नि. 742 (अ) तारीख 30 अगस्त, 1990, का.आ. 23 (अ) तारीख 16 जनवरी, 1991, सा.का.नि. 93 (अ) तारीख 21 फरवरी, 1991, , सा.का.नि. 95(अ) तारीख 12 फरवरी, 1992, , सा.का.नि. 329 (अ) तारीख 13 मार्च, 1992, , सा.का.नि. 475 (अ) तारीख 5 मई , 1992, सा.का.नि. 797(अ) तारीख 1 अक्तूबर , 1992, सा.का.नि. 386(अ) तारीख 28 अप्रैल , 1993, सा.का.नि. 422 (अ) तारीख 19मई , 1993, सा.का.नि. 801 (अ) तारीख 31 दिसम्बर , 1993, सा.का.नि. 176 (अ) तारीख 3 अप्रैल , 1996, सा.का.नि. 631 (अ) तारीख 31 अक्तूबर , 1997, सा.का.नि. 504 (अ) तारीख 20 अगस्त, 1998, और सा.का.नि. 7 (अ) तारीख 2 जनवरी , 1999, सा.का.नि. 682 (अ) तारीख 5 अक्तूबर, 1999, सा.का.नि. 742 (अ) तारीख 25 सितम्बर , 2000, सा.का.नि. 72(अ) तारीख 6 फरवरी , 2001, सा.का.नि. 54 (अ) तारीख 22 जनवरी , 2002, सा.का.नि. 371(अ) तारीख 17 मई , 2002, सा.का.नि. 489 (अ) तारीख 9 जुलाई , 2002, का. आ. 1088 (अ) तारीख 11 अक्तूबर, 2002 और सा.का.नि. 849 (अ) तारीख 30 दिसम्बर , 2002, सा.का.नि. 520(अ) तारीख 1 जुलाई , 2003, सा.का.नि. 92(अ) तारीख 29 जनवरी , 2004, सा.का.नि. 448 (अ) तारीख 12 जुलाई , 2004, शुद्धिपत्र सा.का.नि. 520 (अ) तारीख 12 अगस्त , 2004, सा.का.नि. 272 (अ) तारीख 5 मई , 2005, सा.का.नि. 315 (अ) तारीख 16 मई , 2005, सा.का.नि. 546 (अ) तारीख 30 अगस्त , 2005, सा.का.नि. 46 (अ) तारीख 3 फरवरी , 2006, सा.का.नि. 464 (अ) तारीख 7 अगस्त , 2006 और सा.का.नि. 566 (अ) तारीख 29 अगस्त , 2007,

सा.का.नि. 704 (अ) तारीख 12 नवम्बर , 2007 और सा.का.नि. 186 (अ) तारीख 18 मार्च, 2008 सा.का.नि. 260 (अ) तारीख 5 अप्रैल, 2008, सा.का.नि. 344 (अ) तारीख 7 मई, 2008, सा.का.नि. 414 (अ) तारीख 30 मई, 2008 और सा.का.नि. 481 (अ) तारीख 26 जून, 2008 द्वारा संशोधित किए गए ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th August, 2008

G.S.R. 579(E).—In exercise of the powers conferred by Sections 6 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Environment (Protection) Rules, 1986, namely :—

1. (1) These rules may be called the Environment (Protection) Sixth Amendment Rules, 2008.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Environment (Protection) Rules, 1986, in Schedule –I,

after serial number 34 and entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:-

S. No. 1	Industry 2	Parameter 3	Standard 4
"35	COFFEE INDUSTRY	**Instant /Dry Processing**	
			Limiting value for concentration in mg/l except for pH
		pH	6.5 – 8.5
		$BOD_{3\ days,\ 27^0C}$	100
		Total Dissolved Solids	2100
		Wet / Parchment Coffee Processing	
		pH	6.5 - 8.5
		$BOD_{3\ days,\ 27^0C}$	1000
		Notes:- (i) Coffee growers having plantation area less than 10 ha with wet processing shall store primary treated effluent in lined lagoons for solar evaporation with a non-permeable system at the base and sides of lagoon. (ii) Coffee growers having plantation area between 10 -25 ha with wet processing shall store primary (equalization and neutralization) treated effluent in lined lagoons for solar evaporation with a non-permeable system at the base and sides of lagoon. (iii) Coffee growers having plantation area 25 ha or above with wet processing shall store secondary treated effluent in conformity with above norms in lined lagoons with a non-permeable lining system at the base and sides of lagoon and use the effluent for irrigation after dilution so as BOD of diluted effluent for land application is less than 100 mg/l. (iv) The minimum liner specifications for a non-permeable lining system shall be a composite barrier having 1.5 mm High Density Polyethylene (HDPE) geomembrane or equivalent,	

1	2	3	4
		overlying 90 cm of soil (clay or amended soil) having permeability coefficient not more than 1×10^{-5} cm/sec. (v) The effluent storage facilities/lagoons/solar evaporation ponds shall be located above high flood level mark of the nearby stream, rivulet etc. with below mentioned free board and away from any water body/stream at a distance.	

Grower →	Small (< 10 ha)	Medium (10 – 25 ha)	Large (> 25 ha)
Free Board (cm) →	30	60	90
Distance (m) →	50	100	150

(vi) Raw, Treated and/or diluted effluent shall not be discharged into surface water body or used for recharging groundwater under any circumstances what so ever."

[F. No. O-15017/26/2007-CPW]

R. K. VAISH, Jt. Secy.

Note : - The principal rules were published in the Gazette of India vide number S.O. 844 (E) 19th November, 1986 and subsequently amended vide S.O. 433 (E) dated 18th April, 1987, S.O. 64 (E) dated 18th January, 1988, S.O. 3 (E) dated 3rd January, 1989, S.O. 190 (E) dated 15th March, 1989, G.S.R. 913 (E) dated the 24th October, 1989, S.O. 12 (E) dated the 8th January, 1990, G.S.R. 742 (E) dated the 30th August, 1990, S.O. 23 (E) dated the 16th January, 1991, G.S.R. 93 (E) dated the 21st February, 1991 G.S.R. 95 (E) dated the 12th February, 1992, G.S.R. 329 (E) dated the 13th March, 1992, G.S.R. 475 (E) dated the 5th May, 1992 G.S.R. 797 (E) dated the 1st October, 1992, G.S.R. 386 (E) dated the 28th April, 1993, g.s.r. 422 (e) dated the 19th May, 1993, G.S.R. 801 (E) dated the 31st December, 1993, G.S.R. 176 (E) dated the 3rd April, 1996, G.S.R. 631 (E) dated the 31st October, 1997, G.S.R. 504 (E) dated the 20th August, 1998, G.S.R. 7 (E) dated the 2nd January, 1999, G.S.R. 682 (E) dated the 5th October, 1999, G.S.R. 742 (E) dated the 25th September, 2000, G.S.R. 72 (E) dated the 6th February, 2001, G.S.R. 54 (E) dated the 22nd January, 2002, G.S.R. 371 (E) dated the 17th May, 2002, G.S.R. 489 (E) dated the 9th July, 2002, S.O. 1088 (E) dated the 11th October, 2002 and G.S.R. 849 (E) dated the 30th December, 2002, G.S.R. 520 (E) dated 1st July, 2003, G.S.R. 92 (E) dated 29th January, 2004, G.S.R. 448 (E) dated 12th July, 2004, Corrigenda G.S.R. 520 (E) dated 12th August, 2004, G.S.R. 272 (E) dated 5th May, 2005, G.S.R. 315 (E) dated 16th May, 2005, G.S.R. 546 (E) dated 30th August, 2005, G.S.R. 46 (E) dated 3rd February, 2006, G.S.R. 464 (E) dated 7th August, 2006 and G.S.R. 566 (E) dated 29th August, 2007, G.S.R. 704 (E) dated 12th November, 2007 and G.S.R. 186 (E) dated 18th March, 2008, G.S.R. 280 (E) dated 11th April, 2008, G.S.R. 344 (E) dated 7th May, 2008, G.S.R. 414 (E) dated 30th May, 2008 and G.S.R. 481(E) dated 26th June, 2008.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.